बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं०– DoH/SS/37/2026-पी०पी०एम०-229- /कृ०, पटना दिनांक 21/03/ ,2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+)अनौपचारिक रूप से परामर्शित
द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में ''क्लस्टर आधारित उच्च उत्पादकता सब्जी (गरमा) बीज योजना'' हेतु कुल 827.23500 लाख (आठ करोड़ सत्ताईस लाख तेईस हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में ''क्लस्टर आधारित उच्च उत्पादकता सब्जी (गरमा) बीज योजना'' हेतु कुल 827.23500 लाख (आठ करोड़ सत्ताईस लाख तेईस हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरमा मौसम में क्लस्टर में इच्छुक सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी के बिचड़ों एवं ओ.पी/हाइब्रिड सब्जी बीज उपलब्ध कराकर क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है। योजना संबंधित घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

3. इस योजना अंतर्गत गरमा मौसम में राज्य के 25 जिलों यथा–अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गयाजी, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण के इच्छुक सब्जी उत्पादक किसानों को 75 प्रतिशत अनुदानित दर पर सब्जी के बिचड़ों एवं ओ.पी/हाइब्रिड सब्जी बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5. योजना अंतर्गत चिन्हित नई किस्मों के बीज/बिचड़ा का वितरण चयनित क्लस्टरों में 75% अनुदान पर किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन केवल उन क्लस्टरों से किया जाएगा जहाँ सन्निहित क्षेत्र में एकरूप फसल/किस्म अपनाने से प्रदर्शन (demonstration) एवं समेकित प्रबंधन संभव हो।

6. योजना संबंधित घटकवार संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है:–

क. **गरमा सब्जी बिचड़े का वितरण** :– इस घटक के अन्तर्गत चयनित किसानों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी), चण्डी, नालन्दा, प्लग टाईप नर्सरी, भोजपुर, कटिहार, औरंगाबाद, मोतिहारी एवं जमुई से चिन्हित सब्जियों यथा– टमाटर, बैंगन एवं मिर्च के गरमा सब्जी के गुणवत्तायुक्त बीज से पौध (Seedling) तैयार कर अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु उपरोक्त सभी बिचड़ों की लागत इकाई दर 3.00 रूपये प्रति पौध पर कृषकों को 2.25 (75 प्रतिशत) रूपये तथा परिवहन व्यय हेतु प्रति पौध पर 0.50 रूपये अनुदान दिया जायेगा। सभी संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी), चण्डी, नालन्दा, प्लग टाईप नर्सरी, भोजपुर, कटिहार, जमुई, पूर्वी चम्पारण एवं औरंगाबाद को लक्ष्य अनुरूप बिचड़ों की आपूर्त्ति हेतु कार्यादेश निर्गत करेंगे तथा ससमय बिचड़ा प्राप्त कर चयनित कृषकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न चिन्हित् सब्जियों का बिचड़ा प्रति किसान न्यूनतम 1000 तथा अधिकतम 10000 तक उपलब्ध कराया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत गरमा मौसम हेतु कृषकों से आवेदन 20 मार्च, 2026 तक प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की जाँच संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 2 कार्य दिवस के अन्दर कर जिला उद्यान पदाधिकारी के लॉगिन में अग्रसारित किया जायेगा। तदोपरांत संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा चयनित कृषकों को 22 मार्च, 2026 तक कार्यादेश निर्गत करना अनिवार्य होगा। जिलावार लक्ष्य की विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

ख. **गरमा सब्जी बीज वितरण (ओ.पी./हाईब्रिड प्रभेद)** :– इस घटक अंतर्गत गरमा मौसम में तरबूज, खरबूज, खीरा, कद्दू, करैला, नेनुआ एवं भिण्डी के ओ. पी./हाइब्रिड बीज का वितरण किया जायेगा। सब्जियों की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर अनुशंसित बीज दर के अनुमानित बीज मूल्य (अनुसूची–1 के कॉलम–7)/वास्तविक बीज मूल्य दोनों मे से जो कम होगा, पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। सब्जी की खेती मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ–साथ वैसे कृषक, जिनके पास जमीन नहीं है, पट्टे और बटाई की जमीन पर सब्जी की खेती करते हैं, को ध्यान में रखते हुए इस योजना का लाभ एकरारनामा (अनुसूची–4) के आधार पर न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5.00 एकड़ (2 हेक्टेयर) के लिए देय होगा। इस घटक अन्तर्गत गरमा मौसम हेतु कृषकों से आवेदन 20 मार्च, 2026 तक प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों की जाँच संबंधित प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के 2 कार्य दिवस के अन्दर कर जिला उद्यान पदाधिकारी के लॉगिन से अग्रसारित किया जायेगा। तदोपरांत संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा चयनित कृषकों को 22 मार्च, 2026 तक कार्यादेश निर्गत करना अनिवार्य होगा। जिलावार लक्ष्य की विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

7. योजना के क्रियान्वयन में दियारा क्षेत्रों को प्राथमिकता तथा बाजार की उपलब्धता के दृष्टिकोण से क्लस्टर में किया जाएगा।

8. यह अनुदान की योजना है, इसमें मानव दिवस का सृजन नहीं होगा।

9. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का कृषि विभाग, बिहार के DBT पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक होगा। पंजीकृत कृषक के द्वारा https://horticulture.bihar.gov.in लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा। योजना अन्तर्गत सभी घटको हेतु कृषकों का चयन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा।

10. योजना अन्तर्गत गरमा सब्जी बीज वितरण (ओ.पी./हाईब्रिड) हेतु स्वीकृत इकाई लागत राशि अथवा प्राप्त L1 दर में से न्यूनतम दर पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

11. उद्यान निदेशालय, बिहार द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

12. योजना अन्तर्गत चिन्हित सब्जियों के बीज की उपलब्धता भारत सरकार द्वारा MIDH अन्तर्गत अनुशंसित सब्जी बीज उत्पादकों से प्राप्त दरों में L1 दर आधार पर चयनित एजेंसियों के माध्यम से कराया जायेगा।

13. योजना में स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–3 के अनुसार संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में फार्म संख्या–BTC-25 पर स्वीकृत राशि की निकासी की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का ऑनलाईन अनुदान भुगतान DBT in Kind/DBT in Cash के रूप में संबंधित कृषक/बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड/आपूर्त्तिकर्त्ता के बैंक खाता में CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा।

14. योजना की आवश्यकता एवं बजट उपबंध की उपलब्धता के आलोक में कोटिवार भौतिक लक्ष्य एवं राशि का निर्धारण किया गया है। सभी कोटियों में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला कृषकों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

15. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

16. महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

17. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

18. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष 0101–33–01 सब्सिडी।	19084.490	649.68555
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130–33–01 सब्सिडी।	4860.000	165.44700
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152 –उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152–33–01 सब्सिडी।	355.510	12.10245
कुल	**24300.000**	**827.23500**

19. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर दिनांक–

10.03.2026 को आयोजित बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। तद्ोपरांत वित्त विभाग के संकल्प संख्या–917 दिनांक–01.12.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर दिनांक–16.03.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या– DoH/SS/37/2026 के पृ०सं०–26/टि० पर दिनांक–20.03.2026 को प्राप्त है।

20. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या DoH/SS/37/2026 के पृ0सं0–27/टि0 पर दिनांक–21.03.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–200 दिनांक–21.03.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/37/2026-पी०पी०एम०-229- /कृ०, पटना दिनांक 21/03/ ,2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/37/2026-पी०पी०एम०-229- /कृ०, पटना दिनांक 21/03/ ,2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/37/2026-पी०पी०एम०-229- /कृ०, पटना दिनांक 21/03/ ,2026

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/37/2026-पी०पी०एम०-229- /कृ०, पटना दिनांक 21/03/ ,2026

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/37/2026 /कृ०, पटना दिनांक ,2026

प्रतिलिपि : माननीय उप मुख्य (कृषि) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना/निदेशक, पी० पी० एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक उद्यान/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– DoH/SS/37/2026-पी०पी०एम०-229- /कृ०, पटना दिनांक 21/03/ ,2026

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

21/3

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOJNA 2025-26\ASO2(Gaurav)\स्वीकृत्यादेश गरमा 2025-26 (827.23500).doc

170

अनुसूची–1

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में "क्लस्टर आधारित उच्च उत्पादकता सब्जी (गरमा) बीज योजना"

क्र० सं०	अवयव	इकाई	प्रभेद	कृषि जलवायु क्षेत्र	बीज की मात्रा (प्रति हे०)	अनुमानित प्रति किलोग्राम बीज का मूल्य (रू० में)	इकाई लागत प्रति पौध/हे० (रूपये में)	अनुदान प्रतिशत (इकाई लागत का)	अनुदान प्रति पौधा /हेक्टेयर (रूपये में)	भौतिक लक्ष्य (संख्या/हे०)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सब्जी बिचड़े का वितरण										
i	टमाटर	संख्या	काशी चयन एवं काशी तपश	सभी	-	-	3.00 / पौधा	75%	2.25 / पौधा	900000	20.25000
ii	बैंगन	संख्या	काशी संदेश	I एवं II						500000	11.25000
			काशी ब्रिंजल ग्रीन राउण्ड	III A एवं B	-	-				400000	9.00000
iii	मिर्च	संख्या	पूसा सदाबहार	I एवं II						500000	11.25000
			काशी रत्ना	III A एवं B	-	-				400000	9.00000
	उप योग									2700000	60.75000
iv	सब्जी बिचड़ा हेतु परिवहन व्यय									2700000	13.50000
	योग									2700000	74.25000
2	सब्जी बीज वितरण (ओ.पी./हाइब्रिड प्रभेद)										
i	तरबूज	हे०	काशी मोहिनी	सभी	4.00 kg (OP)	1910.00	7640.00	75%	5730.00	1500	85.95000
ii	खरबूज	हे०	काशी मधु	सभी	1.50 kg (OP)	2500.00	3750.00	75%	2812.50	2000	56.25000
iii	खीरा	हे०	काशी नूतन	सभी	1.00 kg (hybrid)	7000.00	7000.00	75%	5250.00	2500	131.25000
iv	कद्दू	हे०	पूसा सन्तुष्टि	सभी	5.00 kg (OP)	1450.00	7250.00	75%	5437.50	1000	54.37500
v	करैला	हे०	काशी मयूरी	सभी	5.00 kg (OP)	3160.00	15800.00	75%	11850.00	1500	177.75000
vi	नेनुआ	हे०	काशी कल्याणी	I एवं II	4.00 kg (OP)	1510.00	6040.00	75%	4530.00	600	27.18000
			काशी वन्दना	III A एवं B	4.00 kg (OP)	1490.00	5960.00	75%	4470.00	900	40.23000
vii	भिण्डी	हे०	काशी सहिष्णु	सभी	15.00 kg (OP)	800.00	12000.00	75%	9000.00	2000	180.00000
	योग									12000	752.98500
	कुल योग									2712000	827.23500

(आठ करोड़ सत्ताईस लाख तेईस हजार पाँच सौ रूपये)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

(अभिषेक कुमार)

169

अनुसूची – 2 (2/1)

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में "क्लस्टर आधारित उरच्च उत्पादकता सब्जी (गरमा) बीज योजना" का जिलावार एवं अवयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक संख्या एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला	गरमा सब्जी बिचड़े का वितरण												
		टमाटर (काशी चयन एवं काशी तपश)		बैंगन (काशी संदेश)		बैंगन (काशी ब्रिंजल ग्रीन राउण्ड)		मिर्च (पूसा सदाबहार)		मिर्च (काशी रत्ना)		कुल (गरमा सब्जी बिचड़ा)		
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	परिवहन व्यय	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अररिया							80000	1.80000			80000	0.40000	2.20000
2	औरंगाबाद									150000	3.37500	150000	0.75000	4.12500
3	बेगूसराय													
4	भागलपुर													
5	भोजपुर													
6	बक्सर													
7	दरभंगा	100000	2.25000	80000	1.80000			80000	1.80000			260000	1.30000	7.15000
8	गयाजी									150000	3.37500	150000	0.75000	4.12500
9	गोपालगंज							160000	3.60000			160000	0.80000	4.40000
10	जहानाबाद													
11	कटिहार			80000	1.80000							80000	0.40000	2.20000
12	खगड़िया													
13	किशनगंज							80000	1.80000			80000	0.40000	2.20000
14	लखीसराय													
15	मुजफ्फरपुर	100000	2.25000	80000	1.80000							180000	0.90000	4.95000
16	नालन्दा					200000	4.50000					200000	1.00000	5.50000
17	नवादा									100000	2.25000	100000	0.50000	2.75000
18	पटना	200000	4.50000			200000	4.50000					400000	2.00000	11.00000
19	पूर्णिया	100000	2.25000	90000	2.02500							190000	0.95000	5.22500
20	समस्तीपुर	100000	2.25000	80000	1.80000							180000	0.90000	4.95000
21	सारण							100000	2.25000			100000	0.50000	2.75000
22	सीतामढ़ी	100000	2.25000	90000	2.02500							190000	0.95000	5.22500
23	सिवान													
24	वैशाली	200000	4.50000									200000	1.00000	5.50000
25	पश्चिमी चम्पारण													
	कुल योग	**900000**	**20.25000**	**500000**	**11.25000**	**400000**	**9.00000**	**500000**	**11.25000**	**400000**	**9.00000**	**2700000**	**13.50000**	**74.25000**

निदेशक उद्यान, बिहार।

(अभिषेक कुमार)

पवन कुमार

अनुसूची – 2 (2/2)

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में "क्लस्टर आधारित उच्च उत्पादकता सब्जी (गरमा) बीज योजना" का जिलावार एवं अवयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक संख्या एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला	गरमा सब्जी बीज का वितरण													
		तरबूज (काशी मोहिनी)		खरबूज (काशी मधु)		खीरा (काशी नूतन)		कद्दू (पूसा सन्तुष्टि)		करैला (काशी मयूरी)		नेनुआ (काशी कल्याणी)		नेनुआ (काशी वन्दना)	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	अररिया														
2	औरंगाबाद														
3	बेगूसराय	200	11.46000	200	5.62500	150	7.87500								
4	भागलपुर	200	11.46000	200	5.62500										
5	भोजपुर					150	7.87500	100	5.43750					400	17.88000
6	बक्सर							100	5.43750					300	13.41000
7	दरभंगा					150	7.87500	100	5.43750	150	17.77500	80	3.62400		
8	गयाजी					150	7.87500	100	5.43750	150	17.77500			200	8.94000
9	गोपालगंज							100	5.43750			80	3.62400		
10	जहानाबाद					100	5.25000								
11	कटिहार	130	7.44900	200	5.62500			100	5.43750	150	17.77500	80	3.62400		
12	खगड़िया	150	8.59500	200	5.62500										
13	किशनगंज														
14	लखीसराय					150	7.87500								
15	मुजफ्फरपुर					150	7.87500			150	17.77500				
16	नालन्दा					200	10.50000								
17	नवादा														
18	पटना	140	8.02200	300	8.43750	450	23.62500			150	17.77500				
19	पूर्णिया	140	8.02200	300	8.43750			100	5.43750	150	17.77500	100	4.53000		
20	समस्तीपुर	140	8.02200	200	5.62500					150	17.77500				
21	सारण					200	10.50000	100	5.43750	150	17.77500	100	4.53000		
22	सीतामढ़ी					150	7.87500	100	5.43750	150	17.77500	80	3.62400		
23	सिवान							100	5.43750			80	3.62400		
24	वैशाली	200	11.46000	200	5.62500	500	26.25000			150	17.77500				
25	पश्चिमी चम्पारण	200	11.46000	200	5.62500										
	कुल योग	**1500**	**85.95000**	**2000**	**56.25000**	**2500**	**131.25000**	**1000**	**54.37500**	**1500**	**177.75000**	**600**	**27.18000**	**900**	**40.23000**

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।
(अभिषेक कुमार)

167

अनुसूची – 2 (2/3)

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में "क्लस्टर आधारित उच्च उत्पादकता सब्जी (गरमा) बीज योजना" का जिलावार एवं अवयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(भौतिक संख्या एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला	गरमा सब्जी बीज का वितरण				कुल योग	
		भिण्डी (काशी सहिष्णु)		कुल (गरमा सब्जी बीज)			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	30	31	32	33	34	35
1	अररिया					80000	2.20000
2	औरंगाबाद					150000	4.12500
3	बेगूसराय			550	24.96000	550	24.96000
4	भागलपुर			400	17.08500	400	17.08500
5	भोजपुर	200	18.00000	850	49.19250	850	49.19250
6	बक्सर	150	13.50000	550	32.34750	550	32.34750
7	दरभंगा	150	13.50000	630	48.21150	260630	55.36150
8	गयाजी	200	18.00000	800	58.02750	150800	62.15250
9	गोपालगंज	200	18.00000	380	27.06150	160380	31.46150
10	जहानाबाद			100	5.25000	100	5.25000
11	कटिहार	200	18.00000	860	57.91050	80860	60.11050
12	खगड़िया			350	14.22000	350	14.22000
13	किशनगंज					80000	2.20000
14	लखीसराय			150	7.87500	150	7.87500
15	मुजफ्फरपुर			300	25.65000	180300	30.60000
16	नालन्दा			200	10.50000	200200	16.00000
17	नवादा					100000	2.75000
18	पटना			1040	57.85950	401040	68.85950
19	पूर्णिया	300	27.00000	1090	71.20200	191090	76.42700
20	समस्तीपुर			490	31.42200	180490	36.37200
21	सारण	200	18.00000	750	56.24250	100750	58.99250
22	सीतामढ़ी	200	18.00000	680	52.71150	190680	57.93650
23	सिवान	200	18.00000	380	27.06150	380	27.06150
24	वैशाली			1050	61.11000	201050	66.61000
25	पश्चिमी चम्पारण			400	17.08500	400	17.08500
	कुल योग	**2000**	**180.00000**	**12000**	**752.98500**	**2712000**	**827.23500**

निदेशक उद्यान, बिहार।
(अभिषेक कुमार)

पवन कुमार

166

अनुसूची –3

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में ''क्लस्टर आधारित उच्च उत्पादकता सब्जी (गरमा) बीज योजना'' का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य जाति @ 78.537%	अनुसूचित जाति @ 20%	अनुसूचित जनजाति @ 1.463%	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	जिला उद्यान पदाधिकरी, अररिया	1.72781	0.44000	0.03219	2.20000
2	जिला उद्यान पदाधिकरी, औरंगाबाद	3.23965	0.82500	0.06035	4.12500
3	जिला उद्यान पदाधिकरी, बेगूसराय	19.60284	4.99200	0.36516	24.96000
4	जिला उद्यान पदाधिकरी, भागलपुर	13.41805	3.41700	0.24995	17.08500
5	जिला उद्यान पदाधिकरी, भोजपुर	38.63431	9.83850	0.71969	49.19250
6	जिला उद्यान पदाधिकरी, बक्सर	25.40476	6.46950	0.47324	32.34750
7	जिला उद्यान पदाधिकरी, दरभंगा	43.47926	11.07230	0.80994	55.36150
8	जिला उद्यान पदाधिकरी, गयाजी	48.81271	12.43050	0.90929	62.15250
9	जिला उद्यान पदाधिकरी, गोपालगंज	24.70892	6.29230	0.46028	31.46150
10	जिला उद्यान पदाधिकरी, जहानाबाद	4.12319	1.05000	0.07681	5.25000
11	जिला उद्यान पदाधिकरी, कटिहार	47.20898	12.02210	0.87942	60.11050
12	जिला उद्यान पदाधिकरी, खगड़िया	11.16796	2.84400	0.20804	14.22000
13	जिला उद्यान पदाधिकरी, किशनगंज	1.72781	0.44000	0.03219	2.20000
14	जिला उद्यान पदाधिकरी, लखीसराय	6.18479	1.57500	0.11521	7.87500
15	जिला उद्यान पदाधिकरी, मुजफ्फरपुर	24.03232	6.12000	0.44768	30.60000
16	जिला उद्यान पदाधिकरी, नालन्दा	12.56592	3.20000	0.23408	16.00000
17	जिला उद्यान पदाधिकरी, नवादा	2.15977	0.55000	0.04023	2.75000
18	जिला उद्यान पदाधिकरी, पटना	54.08019	13.77190	1.00741	68.85950
19	जिला उद्यान पदाधिकरी, पूर्णियाँ	60.02347	15.28540	1.11813	76.42700
20	जिला उद्यान पदाधिकरी, समस्तीपुर	28.56548	7.27440	0.53212	36.37200
21	जिला उद्यान पदाधिकरी, सारण	46.33094	11.79850	0.86306	58.99250
22	जिला उद्यान पदाधिकरी, सीतामढ़ी	45.50158	11.58730	0.84762	57.93650
23	जिला उद्यान पदाधिकरी, सिवान	21.25329	5.41230	0.39591	27.06150
24	जिला उद्यान पदाधिकरी, वैशाली	52.31350	13.32200	0.97450	66.61000
25	जिला उद्यान पदाधिकरी, पश्चिमी चम्पारण	13.41805	3.41700	0.24995	17.08500
	कुल योग	**649.68555**	**165.44700**	**12.10245**	**827.23500**

(आठ करोड़ सत्ताईस लाख तेईस हजार पाँच सौ रूपये)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।
(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–4

कृषि विभाग

उद्यान निदेशालय

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ''क्लस्टर आधारित उच्च उत्पादकता सब्जी (गरमा) बीज योजना'' का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर–रैयत कृषक)

(विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मै...पिता / पति...

ग्राम...पोस्ट...पंचायत.......................................

प्रखंड..................................जिला...................................का निवासी हूँ। मैंने टमाटर / बैंगन / मिर्च / तरबूज / खरबूज / खीरा / कद्दू / करैला / नेनुआ / भिण्डी की खेती हेतु कृषक श्री...पिता / पति...

.............ग्राम....................................... पोस्ट...पंचायत..................................

............प्रखंड.. जिला...............................से खाता संख्या..................

....खेसरा संख्या...............................रकवा............................... जमीन बटाई / पट्टा पर प्राप्त किया है।

2. बटाई / पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर सब्जी की खेती की जायेगी / की जा रही है।

3. उपर्युक्त सूचना सही है किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जबावदेही मेरी होगी, तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है।

कृषक का हस्ताक्षर

खेत के बगल के दो किसानों का नाम एवं हस्ताक्षर

(मोबाईल नं० सहित)

1	गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर
	....	....
	....	
2	गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर
	....	....
	....	

सत्यापनकर्ता (कृषि समन्वयक / प्रखंड उद्यान पदाधिकारी / प्रखंड कृषि पदाधिकारी)